उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 55 /XXXVIII-I-21-08(15)2020
देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के क्रम में ध्वनि हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र/ज़ोन को शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करते हैं :–

1. **शांत क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित है –**

   (i) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, जिला अस्पतालों, मैडिकल कॉलेजों व 50 व इससे अधिक बिस्तर के हेल्थ केयर फैसिलिटिस के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

   (ii) शैक्षिक संस्थान के परिसर के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

   (iii) संरक्षित वन क्षेत्र व सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र, एवं

   (iv) सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले धरोहर/पुरातत्व स्थल।

2. **आवासीय क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –**

   (i) किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किसी ज़ोनल प्लान/मास्टर प्लान के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र एवं कोई आवासीय कॉलोनी, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी;

   (ii) ज़ोनल क्षेत्र/मास्टर प्लान या किसी भी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्र, खण्ड 1(iv) के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर;

   (iii) खण्ड 1, खण्ड 3 एवं खण्ड 4 के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र।

3. **वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –**

स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

4. **औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –**

(i) राज्य सरकार के उद्योग विभाग, जिला प्राधिकरणों, सिडकुल (SIDCUL) अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां भूमि के उपयोग को बदल कर राज्य में विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु औद्योगिक के रूप में परिवर्तित किया गया हो।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शांत क्षेत्र/ज़ोन, आवासीय क्षेत्र/ज़ोन, वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन और औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन के रूप में एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

5. **स्पष्टीकरणः** क्षेत्र/ज़ोन के वर्गीकरण को अग्रेत्तर निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जाता हैः

(i) किसी मिश्रित उपयोग के भौगोलिक क्षेत्र को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक के रूप से प्रयोग किया जाने के मामले में, जिलाधिकारी को उक्त क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों/स्थानीय पंचायतों के परामर्श से आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक में वर्गीकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिलाधिकारी द्वारा खण्ड 5 (i) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील कर सकेगा। क्षेत्र/ज़ोन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन हेतु ध्वनि के मानक खनन क्षेत्र/स्टोन क्रशर के संचालन हेतु भी सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त लागू होंगे।

अपवादः ऐसी किसी भी प्रक्रिया के संचालन में, जो सरकार के हित में अथवा किसी सार्वजनिक आपातकाल अथवा किसी व्यक्ति, जीव की प्राणरक्षा अथवा चुनावी प्रक्रिया अथवा राष्ट्रीय/राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/ज़ोनों हेतु निर्धारित ध्वनि का स्तर इस दशा में मान्य नहीं होगा।

6. **परिवेशीय वायु गुणवत्ता के संदर्भ में ध्वनि के मानक –**

उक्त वर्गीकृत क्षेत्रों में ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक उक्त नियम की अनुसूची में दिए अनुसार होंगे, जो कि निम्नलिखित हैं :–

क्र0सं0	प्राधिकारी	क्षेत्रान्तर्गत
1.	कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो तहसीलदार के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
2.	कोई पुलिस अधिकारी जो सब–इंस्पेक्टर के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
3.	सभी वनाधिकारी जो वन रेंजर अधिकारी के पद से न्यून न हों।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी पी0ए0 तथा वन क्षेत्र
4.	शहरी स्थानीय निकाय के सहायक नगर आयुक्त/ कार्यकारी अधिकारी/ स्वास्थ्य अधिकारी	शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र
5.	सभी अधिकारी (तकनीकी व वैज्ञानिक) जो सहायक अभियन्ता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्र/जोन

9. <u>प्राधिकारी की भूमिका व उत्तरदायित्व :–</u>

उक्त नियम के नियम 4 व 5 के क्रम में प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप रखने हेतु, उक्त नियम के विभिन्न नियमों में प्रदत्त समस्त शक्तियों के साथ–साथ, निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा:–

(i) उक्त नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सहमति प्रदान करना।

(ii) प्राप्त शिकायतों के क्रम में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध उक्त नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत कार्रवाई करना, जिसमें शोर जनित करने वाले यंत्र को जब्त करना व इस अधिसूचना के खण्ड 10 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित करना।

10. <u>पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना –</u>

उक्त नियम के नियम 6 के अन्तर्गत उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकारी को अधिकृत किया जाता है:–

क्षेत्र/ज़ोन	ध्वनि सीमा (डेसिबल–ए)एल0ई0क्यू0	
	दिन के समय (प्रातः 6:00 बजे से रात्रिः 10:00 बजे तक)	रात्रि के समय (रात्रिः 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक)
शांत क्षेत्र/ज़ोन	50	40
आवासीय क्षेत्र/ज़ोन	55	45
वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन	65	55
औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन	75	70

7. **<u>हॉर्न व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध –</u>**

1. सम्पूर्ण राज्य में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा।

2. लाउडस्पीकर के साथ ध्वनि सीमक के निर्धारण हेतु गाइडलाईन/मानकः–

(क) सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी लाउडस्पीकर को खुले में संचालन हेतु सहमति प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक द्वारा लाउडस्पीकर/ध्वनि जनित करने वाले उपकरण में ध्वनि सीमक स्थापित करे, जिससे कि ध्वनि सीमा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही रहे।

(ख) खुले स्थान में लाउडस्पीकर का प्रयोग ध्वनि सीमक के बिना नहीं किया जायेगा।

3. शांत क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में किसी भी खुले स्थान कार्यक्रम में किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे– (स्कूल व कॉलेज की परीक्षा, राज्य स्तर द्वारा आयोजित मैडिकल/प्री–मैडिकल परीक्षा व ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसका आयोजन उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कराया जा रहा हो), जहाँ बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित हों, के तीन दिन पूर्व से ऐसी परीक्षा के समाप्त होने तक लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

8. **<u>उक्त नियम को अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु नामित प्राधिकारी –</u>**

उक्त नियम के नियम 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत, प्राधिकारी के रूप में ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन कराने हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है :–

श्रेणी	प्रथम उल्लंघन	द्वितीय उल्लंघन	तृतीय या अधिक उल्लंघन
व्यक्तिगत	1000/–	2500/–	5000/–
धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों के संचालक इत्यादि।	5000/–	10,000/–	15,000/–
होटल, भोजनालयों, पब, बैनक्वैट हॉलस इत्यादि	10,000/–	15,000/–	20,000/–
औद्योगिक इकाईयां, खनन कार्य इत्यादि।	20,000/–	30,0000/–	40,000/–

11. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग** – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि, जो कि प्राधिकारियों द्वारा वसूली जायेगी, को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक पृथक खाते में रखा जायेगा तथा इसका उपयोग वायु प्रदूषण के अनुश्रवण एवं रोकथाम हेतु किया जायेगा।

12. **अपीलः** प्राधिकारियों, जैसा कि उक्त नियम में अभिहित किया गया है, के द्वारा की गयी कार्यवाही के विरूद्ध एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।

9/6/21

(निहा वर्मा)
अपर सचिव।

संख्या– 55 (1)/XXXVIII-I-21-08(15)2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:–

1. सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
3. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. विधिक सलाहकार/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव।
13. निदेशक, प्रिंटिंग प्रेस सरकार, रूड़की, को उत्तराखण्ड हेतु राजपत्रित अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु।
14. सरकारी पोर्टल/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतेन्द्र बर्मन)
अनु सचिव।